एक नजर

यमुना नदी में गिरा राशन से भरा ट्रक, हेल्पर लापता

स्वतंत्र चेतना

नई टिहरी। जिले के नैनबाग, थाना कैम्प्टी में देर रात्रि गल्ला राशन से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरा। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ टीम ने खोज एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस टीम ने घायल चालक को उपचार के लिए नैनबाग अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि रेस्क्यू टीम लापता हेल्पर की खोज में यमुना नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात्रि करीब एक बजे विकासनगर के जखोल से त्यूणी राशन ले जा रहा एक ट्रक यमुना पुल व मसूरी बैंड के बीच अनियंत्रित होकर खाई में गिरते हुए यमुना में जा समाया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जबकि हेल्पर लापता है। कैम्पटी थाना प्रभारी रामनरेश शर्मा ने बताया कि, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर घायल चालक उदय सिंह पुत्र गगन सिंह निवासी त्यूणी, उत्तरकाशी को नैनबाग अस्पताल में भर्ती कराया। बताया कि, हादसे में लापता हेल्पर संदीप अधिकारी निवासी नौगांव उत्तरकाशी की खोजबीन की जा रही है।

पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को विधिनुसार निर्णय लेने के निर्देश

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर नियुक्ति के लिए चयन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी से प्रत्यावेदन देने और कमीशन उस प्रत्यावेदन पर कानून के मुताबिक चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी कुलदीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी 2023 को जारी विज्ञापन के तहत उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिका में कहा कि उसे चयन में 107.8650 मार्क्स मिले जो सिलेक्शन में शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स के बराबर थे। याचिका में कहा कि एक अन्य कैंडिडेट, यानी मिस्टर सूरज गौतम, जिन्हें एससी केटेगरी के लिए रिजर्व अकेली वैकेंसी के लिए रिकमेंड किया गया था, जब उन्हें अपॉइंटमेंट ऑफर किया गया तो उन्होंने ड्यूटी जॉइन नहीं की, हालांकि, याचिकाकर्ता को वह वैकेंसी ऑफर नहीं की गई, जबकि मेरिट लिस्ट में उनका नाम उस कैंडिडेट से ठीक नीचे था। पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वेटिंग लिस्ट के बारे में राज्य सरकार के बनाए गए नियमों का जिक्र किया, जिन्हें 10 अक्टूबर 2023 को नोटिफाई किया गया था। याचिका में कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस इन नियमों के लागू होने से पहले शुरू किया गया था, इसलिए, वे नियम इस केस पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रिकमेंडेड कैंडिडेट के ज्वाइन न करने की वजह से याचिकाकर्ता के पास अपॉइंटमेंट का अधिकार था, लेकिन उसे वह नहीं दिया गया। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि वह उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी से प्रत्यावेदन दे और उस प्रत्यावेदन पर कानून के मुताबिक चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

नगर निगम 100 वार्डों में काराएगी फॉगिंग महापौर ने शुरू किया अभियान

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। नगर निगम ने मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए शहर में व्यापक एवं सघन फॉगिंग अभियान की शुरूआत की है। महापौर सौरभ थपलियाल ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि यह अभियान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में नियमितता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगम ने अभियान के लिए 5 बड़ी फॉगिंग मशीनों सहित पर्याप्त हैंडहेल्ड उपकरणों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों और जलभराव वाले स्थानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत नगर निगम शहर के सभी 100 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग कराएगा । इसके लिए वाहनों, ई-रिक्शा और हैंडहेल्ड मशीनों का उपयोग किया जाएगा ताकि संकरी गलियों और दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंच सुनिश्चित हो सके। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें, जलभराव न होने दें और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने में सहयोग करें। अभियान के शुभारंभ के मौके पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना, सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान, पार्षद भूपेंद्र सिंह कठैत, मीनाक्षी नौटियाल, प्रशांत डोभाल, महेंद्र सिंह रावत, वैभव अग्रवाल और अमित भंडारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए चलाएं विशेष अभियान: मुख्यमंत्री

बिना पर्याप्त कार्रवाई के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज करने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी

स्वतंत्र चेतना

देहरादून,। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना पर्याप्त कार्रवाई के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज करने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन केवल एक नंबर नहीं,बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए और जिलाधिकारी स्तर पर साप्ताहिक और विभागीय सचिव स्तर पर मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। बैठक में बताया गया कि एआई आधारित सिस्टम के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण और मॉनिटरिंग में तेजी आई है। विभिन्न जिलों में पेयजल,ऊर्जा,शहरी विकास और गृह विभाग से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कई शिकायतकताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की गई। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर,उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रुहेला,मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल.फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा,सचिव शैलेश बगौली, नितेश झा, दिलीप जावलकर, बृजेश कुमार संत, डॉ.पंकज कुमार पांडे,चंद्रेश यादव,एस.एन.पाण्डेय, रंजीत सिन्हा,विनोद कुमार सुमन, सी.रविशंकर, रंजना राजगुरू, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव आलोक पांडे,महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी,अपर सचिव मनमोहन मैनाली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनपदों के जिलाधिकारी भी वर्चुअली से बैठक में शामिल हुए।

आढ़त बाजार-तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना में आई तेजी

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। राजधानी देहरादून में आढ़त बाजारझतहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। पुष्कर सिंह धामी के विजन के तहत इस परियोजना को शहरी यातायात सुधार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अनुसार परियोजना से प्रभावित 52 संपत्ति धारकों को अब तक लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मुआवजा प्राप्त करने के बाद इन संपत्ति धारकों ने अपनी संबंधित भूमि,संपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। प्राधिकरण ने बताया कि शेष 34 संपत्ति धारकों के दस्तावेजों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को हाई कोर्ट ने मिली जमानत

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार करने के मामले में दायर दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बनभूलपुरा हल्द्वानी निवासी जावेश उर्फ दावेश ने हाई कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उसकी पहली जमानत प्रार्थना पत्र 6 जनवरी को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एफआईआर के अनुसार पीड़िता एक 15 वर्षीय किशोरी है और वह 12 दिसंबर 2022 की मध्यरात्रि 11-12 बजे के बीच अपने घर से लापता पाई गई। उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आवेदक पर संदेह जताया गया कि वही पीड़िता के संपर्क में था और हो सकता है कि उसने ही पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हो। बाद में पीड़िता को बरामद कर लिया गया। उसने बताया कि वह आवेदक के साथ प्रेम-संबंध में थी और वे 12 दिसंबर 2022 को घर छोड़कर चले गए थे, वे उत्तर प्रदेश गए थे लेकिन इसी बीच आवेदक को पुलिस का एक फोन आया जिसके बाद वे वापस लौट आए। याचिका में कहा कि वास्तव में आवेदक और पीड़िता दोनों ही प्रेम-संबंध में थे, इस बात को पीड़िता ने जांच के दौरान दिए गए अपने बयान में और मुकदमे की सुनवाई के दौरान भी स्वीकार किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता एक नाबालिग (बच्ची) थी। उसने अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे मामलों में दिए गए कई निर्णयों का हवाला दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जमानत दे दी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा देने का रोडमैप तैयार : मुख्यमंत्री धामी

पीडब्ल्यूडी मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से तैयार आगामी पांच वर्षों (2026झ2031) की मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े 100 से अधिक परियोजनाओं का विजन प्रस्तुत किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है, ऐसे में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए विकास को नई दिशा दी जा रही है। यह मास्टर प्लान राज्य में मजबूत, सुरक्षित और भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि 'विजन के साथ विकास' राज्य सरकार की प्राथमिकता है और यह पुस्तिका विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार और तकनीक के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विभाग स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रहा है और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मास्टर प्लान पुस्तिका में 100 से अधिक परियोजनाओं का विजन शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन भी किए जाएंगे। पुस्तिका में रोड कनेक्टिविटी, इकोनॉमी हब कनेक्टिविटी, ब्रिज डेवलपमेंट एवं सेफ्टी, सड़क सुरक्षा व स्लोप प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रबंधन और पॉलिसी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विभाग की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, प्रमुख अभियंता राजेश चन्द्र शर्मा,मुख्य अभियंता रणजीत रावत,राजेन्द्र सयाना,अधीक्षण अभियंता मनोज बिष्ट,अरूण पाण्डेय,अधिशासी अभियंता बी.एन.द्विवेदी,राजेश कुमार, नीरज त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चारधाम यात्रा में हेल्पलाइन और रियल-टाइम अपडेट से यात्रियों को होगी सुविधा: अपर पुलिस महानिदेशक

स्वतंत्र चेतना

उत्तरकाशी। उत्तराखंड पुलिस ने चारधाम यात्रा-2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और रियल-टाइम सूचना प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इसके तहत जारी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से यात्री यात्रा से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) डॉ.वी. मुरुगेशन ने दी है।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) डॉ.वी. मुरुगेशन शुक्रवार को यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने गंगोत्री धाम और यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरूआत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और राज्य आपदा मोचन बल की तैनाती की गई है। यातायात प्रबंधन के तहत संकरे मार्गों और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग,इंटरसेप्टर,हाईवे पेट्रोल यूनिट और क्रेन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों और धामों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, डीएफएमडी और एचएचएमडी लगाए गए हैं।

इसके अलावा एटीएस,बीडीएस और सीएपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और उत्तराखंड पुलिस ऐप सहित वेबसाइट व सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रा, मौसम और मार्गों की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिस बल के लिए आवास और अन्य सुविधाओं का भी विशेष प्रबंध किया गया है,ताकि यात्रियों को त्वरित सहायता मिल सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छह आईएएस सहित 32 अधिकारियों के तबादले

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के छह और 25 पीसीएस व एक सचिवालय सेवा सहित कुल 32 अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इनमें कई अधिकारियों को नए विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं, जबकि कुछ के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह पतियाल की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी स्थानांतरण आदेश में आईएएस अधिकारी आनन्द स्वरूप को सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा परियोजना निदेशक यू-प्रिपेयर के दायित्व से मुक्त करते हुए केवल आयुक्त, खाद्य का पदभार सौंपा गया है। शेष पदभार यथावत रहेंगे। आईएएस अधिकारी रूचि मोहन रयाल से अपर आयुक्त (नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आपूर्ति/आईटी शाखा) का दायित्व वापस ले लिया गया है। आईएएस अधिकारी प्रकाश चन्द्र को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के दायित्व से मुक्त किया गया है। बंशी लाल राणा को निदेशक, महिला कल्याण एवं आईसीडीएस के साथ-साथ आयुक्त, खाद्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस अधिकारी गौरी प्रभात को रानीखेत से स्थानांतरित कर संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल नियुक्त किया गया है, जबकि दीक्षिता जोशी को पौड़ी गढ़वाल से हटाकर संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस नरेंद्र सिंह को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरावाला (देहरादून) में कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के पद से हटाया गया है। अब उनके पास अपर आयुक्त, आबकारी सहित अन्य दायित्व रहेंगे। शिवकुमार बरनवाल को सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून का दायित्व सौंपा गया है। प्रकाश चंद्र दुमका को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के पद पर नियुक्त किया गया है। नंदन सिंह डुंगरियाल (सचिवालय सेवा) को संयुक्त सचिव से बदलकर सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून भेजा गया है। अवधेश कुमार सिंह को टिहरी गढ़वाल में अपर जिलाधिकारी पद से बदलकर संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र सिंह को टिहरी गढ़वाल में अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वैभव गुप्ता को अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), हरिद्वार के पद पर तैनाती दी गई है। सौरभ असवाल को अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), नैनीताल एवं सक्षम प्राधिकारी, नैनीताल (अतिरिक्त प्रभार सहित) और मनीष कुमार सिंह को डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार से संबंधित नई तैनाती दी गई है। सन्तोष कुमार पाण्डे को उप सचिव, उत्तराखंड सूचना आयोग और लक्ष्मीराज चौहान को परीक्षा नियंत्रक, यूकेएसएसएससी की जिम्मेदारी दी गई है। कुश्म चौहान को महाप्रबंधक, गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहरादून व हर गिरि को डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार नियुक्त किया गया है।अनुराग आर्या को नैनीताल, रविन्द्र कुमार जुवांठा को देहरादून, सुधीर कुमार को डिप्टी कलेक्टर, नैनीताल, हिमांशु कफल्टिया को डिप्टी कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर, प्रेमलाल को डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी, यशवीर सिंह को डिप्टी कलेक्टर, चमोली, मुकेश चन्द्र रमोला को डिप्टी कलेक्टर, देहरादून, विपिन चन्द्र पन्त को डिप्टी कलेक्टर, चम्पावत, सुनील कुमार को डिप्टी कलेक्टर, चम्पावत, पंकज भट्ट को डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल, अल्केश नौडियाल को डिप्टी कलेक्टर, चमोली, कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग और अंकित राज को पिथौरागढ़ में डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती ग्रहण करेंगे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा का जनजागरण अभियान

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शुक्रवार को जनजागरण अभियान चलाते हुए पदयात्रा, स्कूटी रैली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान अभियान के तहत महिलाओं और आम नागरिकों को अधिनियम के प्रावधानों, अधिकारों और लाभों के प्रति जागरूक किया गया।

परेड ग्राउंड स्थित महानगर कार्यालय से महिला और युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यक्रमों की शुरूआत की गई। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाकर लोगों से अधिनियम के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराने की अपील की गई। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि यह अधिनियम लंबे समय से महिलाओं की मांग रहा है और इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा मिलेगी। वहीं, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह केवल आरक्षण का प्रावधान नहीं,बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की मुख्यधारा में शामिल करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिले सम्मान और अवसर अभूतपूर्व हैं तथा यह अधिनियम उसी सोच का विस्तार है। महिला मोर्चा जनजागरण अभियान के माध्यम से इस संदेश को घर-घर तक पहुंचा रहा है। मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. दिव्या नेगी ने बताया कि जनजागरण अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों, सामाजिक कार्यकताओं और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता रही, जिससे महिला सशक्तिकरण को व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि रैली में हजारों वाहनों और पदयात्रियों ने भाग लेते हुए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अधिनियम के पक्ष में जनसमर्थन जुटाया।

उन्होंने अपील की कि ऐसे जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी कर महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास को और मजबूत बनाएं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी,महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री हिमानी वैष्णव,प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा,प्रदेश मंत्री कविता शाह,मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ.दिव्या नेगी, कार्यालय सह प्रभारी बबली चौहान, गढ़वाल सह संयोजक अर्चना बागड़ी,प्रदेश प्रवक्ता जानकी नोटियाल,युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रगति,महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल,महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन सिंह,युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप पंत, मंडल अध्यक्ष सुषमा कुकरेती, मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष वैजयंती माला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिसः 6वीं मंज़िल, बी बिल्डिंग, गागा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014

यूनिट से ब्रांचः आर.के. टावर, दूसरी मंज़िल, स्वामी हरिचूराम ट्रस्ट के सामने, कनखल रोड, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407

ई-ऑक्शन सेल नोटिस
सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के नियम 8 और 9 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इस सूचना द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिनका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसरण में ले लिया गया है।

गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री 19-05-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से **"जैसी है वैसी", "जो भी है" और "जो भी मौजूद है"** के आधार पर की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **GHFL**/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	विवरण संपत्ति का {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (10% आरपी के) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तिथि {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {क}	दिनांक और का समय नीलामी {जे}	ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अदालत मामले यदि कोई हों {के}
ऋण सं. HL00173100000005061341 पप्पू सो मेहर सिंह (उधार लेने वाला) सोनिया सोनिया (सीओ उधारकर्ता)	नोटिस की तिथिः 09-01-2026 कुल देय राशिः रू. 209967/- (दो लाख नौ हजार नौ सौ सड़सठ रुपये मात्र) देय 09-01-2026 तक देय ब्याज सहित, 12.99% प्रति वर्ष भुगतान होने तक।	भौतिक	फ्लैट नंबर एस-312 का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, तीसरी मंजिल, जिसका कुल कारपेट एरिया है 23.04 वर्ग मीटर, परियोजना में "ओजस आवास विकास" का नाम और शैली आन्नेकी हेत्तमपुर" खसरा से संबंधित है नंबर 1840, 1841 और 1842, गांव में स्थित आन्नेकी हेत्तमपुर, तहसील और जिला हरिद्वार	रु. 404250/- (रुपये चार लाख चार हजार दो सौ पचास मात्र)	रु. 40425/- (रुपये चालीस हजार चार सौ पच्चीस मात्र)	18-05-2026 पहले शाम 5 बजे	10,000/-	13-05-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	19-05-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, स्वयं पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्कों, भारों और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य बकाया जैसे सभी वैधानिक देय राशियों का पता लगाकर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से समय से पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124, 25, 26। ईमेल आईडीः **Support@bankeauctions.com** । संपर्क व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः **delhi@c1india.com,** संपर्क नंबरः 9813887931। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता केवल इन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता" में जमा करनी होगी। बैंकः आईसीआईसीआई बैंक। खाता संख्या- 091551000028 और **IFSC** कोड- **ICIC0000915, ICICI** बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर 411014, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर 18-05-2026 को या उससे पहले आहरित किया गया हो। कृपया **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजनी होंगीः पताः आर.के. टावर, दूसरी मंजिल, स्वामी हरिचुरम ट्रस्ट के सामने, कंखल रोड, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249407, मोबाइल नंबर। +91 8281138143 ईमेल आईडी **p.adith@grihumhousing.com** नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com & www.grihumhousing.com** पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें।

यह सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को 30 दिन (तीस) की सूचना भी मानी जानी चाहिए।

स्थानः- हरिद्वार, उत्तराखंड, दिनांकः 18.04.2026

प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड